संख्या–1480/62–2–2010–2/3(110)/2010

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2010

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अधीन स्वीकृत नई योजना सामूदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित) योजना के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में (राज्य योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् मुख्य अभियंता, लघु सिचांई विभाग के पत्र संख्या–83/ल0सिं0/बजट–3/2010–11, दिनांक 09–04–2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अधीन स्वीकृत नई योजना सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 1,10,00,00,000/– (रू0 एक अरब दस करोड़ मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की नई योजना सामूदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित) पर व्यय हेतु है।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) प्रथम वरियता पर बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत ब्लास्ट कूपों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा धनराशि का आहरण/उपभोग प्रश्नगत योजना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद ही किया जायेगा तथा

सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त लेखा अनुभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(7) यह कि आहरण एवं वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटित धनराशि से अधिक का परिव्यय संबंधित योजना में उनके जनपद हेतु स्वीकृत किया गया है। अन्यथा स्वीकृत परिव्यय अथवा अवमुक्त धनराशि, जो भी कम हो, की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

(8) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जाये।

1– मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2– प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15–10–2010 तक
3– व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	15–12–2010 तक
4– वर्ष 2010–11 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15–02–2011 तक
5– आवंटन का समर्पण	15–03–2011 तक

नोट :– दिनांक 15–03–2011 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(10) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अर्धीन "लेखा शीर्षक–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित)–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–ई–2–358/दस/2010, दिनांक 14 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1480(1)/62–2–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
7. एन0आई0सी0 की प्रति।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।